

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

गुरुवार, 10 मार्च, 2022 (फाल्गुन-19 1943)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

दिनांक 10.03.2022 को सदन द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को स्वीकृति दी गई तदनुसार निम्नलिखित कार्य के लिये उनके सम्मुख अंकित समय नियत किया गया है :-

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 हेतु नियत अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय संकल्प

| अशासकीय विधेयक क्र. | विषय | समय |
|---------------------|---|---------|
| 1 (क्रमांक-10) | छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री सत्यनारायण शर्मा) | 05 मिनट |

| अशासकीय संकल्प क्र. | विषय | समय |
|----------------------|---|---------|
| 1. (क्रमांक - 02) | सदन का यह मत है कि " प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य विचार करे" । (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री धरमलाल कौशिक) | 45 मिनट |
| 2. (क्रमांक - 05) | सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सभी स्तर की ग्रामीण सड़कों को 50 (पचास) टन भार क्षमता वहन करने योग्य बनायी जाये" । (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री अजय चन्द्राकर) | 45 मिनट |
| 3. (क्रमांक - 01) | सदन का यह मत है कि "दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला बलौदाबाजार भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे" । (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री शिवरतन शर्मा) | 25 मिनट |
| 4. (क्रमांक -09, 10) | सदन का यह मत है कि "विगत दो वर्षों में कोरोनाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण बेरोजगारों की अधिकतम आयुसीमा में दो वर्षों की छूट दी जाये" । (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री गुलाब कमरो, श्री अजय चन्द्राकर) | 30 मिनट |